

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/764

दिनांक : 25.6.2016

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-875/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन अप कालेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड हायर एजुकेशन, छुट्टमलपुर, कमालपुर, शाकुम्भरी देवी रोड (सहारनपुर) को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एस-सी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम (एक सेवशन) में स्वदत्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन शिक्षकों का चयन व अनुमोदन व प्रवन्ध समिति के अनुमोदन का प्रमाण पत्र अपेक्षित होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2016 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इनिश कमियों तथा-ब्रम्भत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्ठावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अतः दिनांक 25.07.2016 को आहूत कार्य परिषद की स्वीकृति के आलोक में अप कालेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड हायर एजुकेशन, छुट्टमलपुर, कमालपुर, शाकुम्भरी देवी रोड (सहारनपुर) को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एस-सी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम (एक सेवशन) में उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2016 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्थान द्वारा शिक्षकों का चयन व अनुमोदन व प्रवन्ध समिति के अनुमोदन का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को एक माह के अंदर उपलब्ध करा देगा। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे। यहाँ यह भी सूच्य है कि दशमात्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत यदि वर्तमान सत्र में संस्थान में प्रवेशित छात्रों को समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लाभ प्रदान नहीं किया जाता है तो इसके लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, अप कालेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड हायर एजुकेशन, छुट्टमलपुर, कमालपुर, शाकुम्भरी देवी रोड (सहारनपुर)।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कर्मटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव